



राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)



आयुक्त संख्या 20/09/2021/सूचना/2021

जयपुर दिनांक 10.09.2021

655

विडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग-नोटिस

10/9/21

राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग एवं उनके अधीनस्थ विभागों/निगमों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्त्रित एवं क्षतिपूर्ति की राशि वसूल कर सूचना आयोग के कोष में जमा कराने वास्तु दिए गए निर्देशों के क्रम में राशि वसूली की स्थिति की समीक्षा की जानी है। लोक सूचना अधिकारियों का विभागवार बकाया राशि का विवरण संबंधित प्रशासनिक विभागों को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी -

दिनांक व समय	20.09.2021 साय : 05.00 बजे
स्थान	IP Phone के द्वारा स्वयं के कार्यालय से (मीटिंग आई डी ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा)

अतः निम्नांकित अधिकारियों से अनुरोध है कि अद्यतन सूचना के साथ उक्त दीर्घ में उल्लेखित लेख का भ्रम करे -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियानिकी विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. शासन सचिव, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग।
10. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
11. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

कार्यालय शासन सचिव  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
डायरी संख्या: 4940  
दिनांक: 10/9/21

(हरजी लाल अटल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, समन्वित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
4. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण जो स्वयं के कार्यालय से IP Phone द्वारा वीसी से जुड़ने के लिए मीटिंग आईडी जारी करवाने का भ्रम करारें।
5. पंजीयक/उप पंजीयक, शासन सचिवालय।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एक 20(101/127)लोकसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/1668-1676 दिनांक:- 14-9-2021

प्रतिलिपी :- निम्नलिखित क्रम संख्या 3 से 8 तक के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा यदि कोई अधिरोपित शास्त्रित एवं क्षतिपूर्ति की राशि बकाया है तो वसूल कर सूचना आयोग के कोष में जमा करावें तथा वस्तुस्थिति से इसकी सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के ई-मेल आईडी jdadmn.cce@gmail.com पर आज ही भिजवायें।

1. कार्यालय शासन सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी डायरी क्रमांक 4940 दिनांक 10-9-2021 के संदर्भ में।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के मीटिंग नोटिस के पत्र दिनांक 10-9-2021 के संदर्भ में।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आह्वान वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. वेबसाइट प्रभारी-आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(डा. के.एल. सिराधना)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।